संसं.राबैं.प्रका.एमसीआईडी/ 748 /जेएलजी(नीति) / 2020-21
Ref. No.NB.HO.MCID/ 748 /JLG (Policy)/2020-21

परिपत्र सं.Circular No. 281 / एमसीआईडी MCID-04 / 2020
13 अक्तूबर/October 2020

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

The Chairman/Managing Director

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/राज्य सहकारी बैंक/राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

All RRBs/State Cooperative Banks/SCARDBs

महोदया / महोदय

संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) का संवर्धन और वित्तपोषण - जेएलजीपीआई को प्रदत्त अनुदान सहायता में संशोधन	**Promotion and Financing of Joint Liability Groups (JLGs) – Revision in grant assistance to JLGPIs**
काश्तकार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार, और छोटे/सीमांत किसान के रूप में खेती कर रहे भूमिहीन किसानों और अन्य व्यक्तियों को कृषि, कृषीतर एवं गैर- कृषि कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु जेएलजी एक महत्वपूर्ण साधन है. नाबार्ड ने 2004-05 में 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से, ऋण देने के लिए जेएलजी मॉडल की प्रायोगिक शुरुआत की थी, जिसमें 285 जेएलजी का संवर्धन किया गया और इन जेएलजी को रु.4.48 करोड़ का बैंक वित्त प्रदान किया गया.	JLG serves as an important tool for augmenting flow of credit to landless farmers cultivating land as tenant farmers, oral lessees, share croppers and small/marginal farmers and other individuals for taking up farm, off farm and non-farm activities. NABARD had piloted the JLG model of lending through 13 RRBs in 2004-05, in which 285 JLGs were promoted and bank finance of Rs.4.48 crores was extended to these JLGs.

2. इस अनुभव के आधार पर, केंद्रीय बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसार नाबार्ड द्वारा सभी राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 2006 में, काश्तकर किसानों के संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के संवर्धन एवं वित्तपोषण हेतु एक अलग योजना बनाई गई. 07 सितंबर 2006 के परिपत्र सं.151 के माध्यम से जारी किए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को 23 अक्तूबर 2009 के परिपत्र सं.169 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसमें जेएलजीपीआई के प्रयासों को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रु.2000/- की अनुदान सहायता शामिल की गई. 3 दिसंबर 2009 के परिपत्र संख्या 203 के माध्यम से इस योजना को कृषीतर क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमियों / कारीगरों के लिए भी विस्तारित किया गया. इसके बाद, 26 नवंबर 2014 के परिपत्र संख्या 233 के माध्यम से मिशन मोड में जेएलजी के वित्तपोषण हेतु एक संशोधित दृष्टिकोण अपनाया गया. **3.** जेएलजीपीआई को प्रदत्त अनुदान सहायता, जेएलजी के निर्माण, पोषण एवं ऋण सहबद्धता से जुड़ी हुई है. पिछले 2 वर्षों में नाबार्ड द्वारा देश भर में जेएलजी पर किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि अनुदान सहायता का पूर्ण दावा नहीं किया जाता है क्योंकि लंबी प्रक्रिया और कम प्रोत्साहन के कारण जेएलजीपीआई सामान्यत: जेएलजी का साथ छोड़ देते हैं. तदनुसार, इसकी समीक्षा की गई और अब अनुदान सहायता को	**2.** Based on the experience, a separate scheme for promotion & financing of JLGs of tenant farmers, as per Union Budget 2006-07 pronouncement was formulated by NABARD for all SCBs and RRBs in 2006. The Operational Guidelines issued vide Circular No.151 dated 07 September 2006 were revised vide Circular No.169 dated 23 October 2009 incorporating grant assistance of Rs.2000/- to support and incentivise the efforts of the JLGPIs. The scheme was also extended to micro entrepreneurs/artisans in Non-Farm sector vide circular No 203 dated 3rd December 2009. Thereafter, a revised approach in financing JLGs on a mission mode was adopted vide circular No 233 dated 26 November 2014. **3.** The grant assistance to the JLGPIs is linked to formation and nurturing as well as credit linkage of JLGs. Findings of the Impact Evaluation Studies on JLGs conducted across the country by NABARD over the last 2 years indicate that the grant assistance is not being fully claimed as the JLGPIs generally discontinue their association with the JLGs due to low incentive over a long drawn out process. Accordingly, a review was undertaken and

निम्नलिखित सहायता संरचना के अनुसार रु.2,000/- से बढ़ाकर रु.**4,000/-** किया गया है :	the grant assistance has now been enhanced from Rs.2,000/- to **Rs.4,000/-** as per the following support structure :

क्रम **Sl. No.**	विवरण **Particulars**	राशि **Amount (₹ में/in ₹.)**	अभ्युक्तियाँ / **Remarks**
1	प्रथम किश्त First instalment	**2000/-**	जेएलजी संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए For JLG promotion and Credit Linkage
2	द्वितीय किश्त Second instalment	**1000/-**	ऋण संवितरण की तिथि के एक वर्ष बाद, यह वित्तपोषण कर रहे बैंक द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन होगा कि जेएलजी के सभी सदस्यों द्वारा ऋण चुकौती नियमित / बिना चूक के की जा रही है After one year from the date of loan disbursement, subject to the certification by the financing bank that the loan repayment is regular/ without default by all the individual members of the JLG
3	तृतीय किश्त Third instalment	**1000/-**	ऋण संवितरण की तिथि से दूसरे वर्ष की समाप्ति के बाद, वित्तपोषण कर रहे बैंक द्वारा उपर्युक्त के अनुसार प्रमाणन के अधीन After the end of second year from the date of loan disbursement, subject to similar certification from financing bank as above
	कुल Total	**4000/-**	

4. जेएलजी के निर्माण एवं सहबद्धता की प्रगति को बैंक, नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में तिमाही आधार पर आगामी माह की 15 तारीख तक अपलोड करना जारी रखेंगे.

Banks may continue to upload the progress of formation and linkage of JLGs in ENSURE Portal of NABARD on a quarterly basis by 15th of the succeeding month.

5. इस योजना के तहत जारी किए गए अन्य सभी निर्देश / दिशानिर्देश यथावत रहेंगे.

All other instructions / guidelines issued under the scheme will remain the same.

भवदीया

(आर शेरिंग / R. Tshering)
मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager

उक्त दिनांक का पृष्ठांकन सं.राबैं.प्रका./एमसीआईडी/ 749 /जेएलजी (नीति)/2020-21
Endt. No.NB.HO.MCID/ **749** /JLG (Policy)/2020-21 of date

सूचना व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :
Copy forwarded for information and necessary action to :

1. मुख्य महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय
   The Chief General Manager / Officer-in-Charge, NABARD, All Regional Offices.

2. प्रबंध निदेशक, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नाबार्ड टॉवर, 7 वीं मंजिल, 24 राजेंद्र प्लेस, गोपाला टॉवर के सामने, नई दिल्ली – 110125
   The Managing Director, NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd., NABARD Tower, 7th floor, 24 Rajendra Place, Opp. Gopala Tower, New Delhi – 110125.

3. महाप्रबंधक, नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड, प्लॉट सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व मुंबई – 400051
   The General Manager, NABKISAN Finance Ltd., Plot C-24, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

4. प्रबंध निदेशक, नैबफिन्स लिमिटेड, 3072, 14 वीं क्रॉस के.आर. रोड, बनशंकरी द्वितीय स्टेज, बेंगलुरु – 560070
   The Managing Director, NABFINS Ltd., 3072, 14th Cross KR Road, Banshankari 2nd Stage, Bengaluru – 560070.

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैबवेंचर्स, प्लॉट सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई – 400051
   The Chief Executive Officer, NABVENTURES, Plot C-24, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नैबफ़ाउंडेशन, प्लॉट सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई – 400051
   The Chief Executive Officer, NABFOUNDATION, Plot C-24, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051.

7. संयुक्त निदेशक, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ- 226012
   The Joint Director, Bankers Institute of Rural Development, Sector-H, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow – 226012.

8. प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, सेक्टर-एच, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ – 226012
The Principal, National Bank Staff College, Sector-H, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow – 226012.

9. संयुक्त निदेशक, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, कोलकाता
The Joint Director, Bankers Institute of Rural Development, Kolkata.

10. संयुक्त निदेशक, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, बर्ड कैम्पस, कृष्णा नगर रोड, बोन्देल, मंगलुरु - 575008
The Joint Director, Bankers Institute of Rural Development, BIRD Campus, Krishna Nagar, Bondel, Mangaluru – 575008.

11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय के सभी विभाग.
The Chief General Manager, NABARD, All Head Office Departments.

(प्रफुल्ला टी. कुरियन / Prafulla T. Kurien)
उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager